फा. सं. 6/35/2012-एफआई

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

*****

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,
तीसरा तल, नई दिल्ली,
दिनांक: 27.02.2013

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

विषय: एटीएम के कार्य करने की समयावधि और उपयोग के लिए उपलब्धता

महोदय/महोदया,

मुझे इस विभाग के 31 दिसम्बर, 2012 के समसंख्यक पत्र का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें विभिन्न पीएसबी द्वारा लगाए गए एटीएम/नकदी भुगतान मशीन के संबंध में अक्टूबर से दिसंबर, 2012 की अवधि के लिए कार्य करने की समयावधि प्रतिवेदन का विवरण मांगा गया है। प्राप्त सूचना को समेकित किया गया है और इसके साथ संलग्न कर दिया गया है।

2. ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एटीएम चैनल अति महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में एटीएम के जरिए लेन-देन में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए, ग्राहकों को 24/7 सेवा प्रदान करने के लिए एटीएम नेटवर्क की अधिक समय तक उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। संलग्न कथन से यह देखा जा सकता है कि बहुत से बैंकों में विद्युत, संचार संबंधी मामले के कारण एटीएम के कार्य न करने के मामले अत्यधिक हैं। चूंकि अन्य बैंक भी इसी माहौल में कार्य करते हैं, इसलिए उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई के लिए ऐसे मामलों पर सूक्ष्म दृष्टि रखने की आवश्यकता अनुभव की गई है। शहरी केन्द्रों के बहुत से बैंकों में इन कारकों के कारण अत्यधिक रूकावट आई है। इसी तरह, नकदी की समाप्ति की स्थिति के कारण होने वाली रूकावट का भी निराकरण किया जाना अपेक्षित है।

3. बैंकों से रूकावट के कारणों के पर्यवेक्षण और रूकावट को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आशा की जाती है। एटीएम के उपरिकाल निष्पादन की स्थिति तिमाही आधार पर बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार मेहन)
अवर सचिव, भारत सरकार (एफआई)
दूरभाष: 23748771